संख्या-156/2019/18/22-2-2018-17(61)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लईक उर्फ दरभंगा पुत्र छंगा निवासी जनपद पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3 (एम-21.12.2017) दिनांक-29.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लईक उर्फ दरभंगा पुत्र श्री छंगा जो अहमदनगर, थाना-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी ने पानी भरते समय धक्का मारने के कारण दिनांक 28.03.2003 को सायं लगभग 07:00 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से असलम नामक व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-373,374/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 504 व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-1, पीलीभीत के आदेश दिनांक 30.06.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक में 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, परिवार की आर्थिक व सामाजिक दशा समय पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समय पूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा, बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, अपराध करने में अशक्त न होने परिवार की आर्थिक व सामाजिक दशा समय पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में की गयी है, इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लईक उर्फ दरभंगा पुत्र छंगा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी लईक उर्फ दरभंगा (बन्दी संख्या-39545) पुत्र छंगा निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

**संख्या-156/2019/18(1)/22-2-2018 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-156/2019/18/22-2-2018-17(61)/2018

दिनांक 21 नवम्बर, 2019 का संलग्नक

**सरकार के आदेश**

कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लईक उर्फ दरभंगा पुत्र श्री छंगा जो अहमदनगर, थाना-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी ने पानी भरते समय धक्का मारने के कारण दिनांक 28.03.2003 को सायं लगभग 07:00 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से असलम नामक व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-373,374/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 504 व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-1, पीलीभीत के आदेश दिनांक 30.06.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता **में सम्पन्न समिति की बैठक** में 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, परिवार की आर्थिक व सामाजिक दशा समय पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समय पूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा, बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, अपराध करने में अशक्त न होने परिवार की आर्थिक व सामाजिक दशा समय पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में की गयी है, इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लईक उर्फ दरभंगा पुत्र छंगा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति **नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in